न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2021

प्रार्थीगण

1. कालु पुत्र लुम्बा
2. जोईता पुत्र लुम्बा
3. डायाराम पुत्र वेला
4. दानाराम पुत्र भगु
5. हेमाराम पुत्र वेला जातियान जांगीड़ ब्राहमण निवासीयान बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. बाबूराम पुत्र हुकमाराम जाति जोशी निवासी बडगांव
2. मृतक अमीया पत्नि जगाराम के कायम मूकाम वारीसान–
   2/1 सीता पुत्री जगाराम
   2/2 दीवा पुत्री जगाराम
3. कृष्ण पुत्र जगाराम
4. कान्तिलाल पुत्र जगाराम
5. कालू पुत्र सोना
6. जसाराम पुत्र जगाराम
7. माधाराम पुत्र जगाराम
8. रामाराम पुत्र जगाराम
9. वचना पुत्र सोना जातियान मेगवंशी निवासीयान बडगांव जिला जालोर
10. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 10 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 25.11.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा में प्रार्थीण की स्वामित्व की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1424 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1425 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नबंर 1426 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1427 रकबा 0.39 हैक्टर, जुमले रकबा 0.86 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 1424, 1425 ,1426 व 1427 के पडौस में उत्तर दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 1346 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1347 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 1348 रकबा 1.49 हैक्टर जुमले रकबा 1.54 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी 1424, 1425, 1426 व 1427 के पडौस में दक्षिण दिशा की आर अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की खातेदारी मौजा बडगांव के खसरा नबंर 1421 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 1422 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1423 रकबा 0.72 हैक्टर जुमले रकबा 1.76 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 से 9 के नाम दर्ज है।

2. प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत 1424 ,1425, 1426 व 1427 के उत्तर दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 1346, 1347 ,1348 की माठ के सीमाज्ञान का विवाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के बीच चल रहा है। प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:42 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी के उत्तरी माठ व अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के दक्षिणी लोर पर हमेशा माठ काटन एवं कब्जा व काश्त को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से हमेशा टंटा फसाद करता रहता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने उत्तरी माठ पर भूमि के सीमा का विवाद जानबुझ कर उत्पन्न कर रखा है तथा माठ पर पेड–पौधे लगाने व माठ कायम करने नहीं देता है तथा न ही सीमाज्ञान करने देता है तथा अवैध रूप से विधि विरूद्व तरीके से जबरन अवैध अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 1424, 1425, 1426 व 1427 के उत्तरी लोर को तोड कर जबरन प्रार्थीगण के खेत में अतिचार कर अवैध अतिक्रमण करने पर उतारू है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से 9 को काफी समझाया परन्तु वे सीमाज्ञान कर स्थाई पत्थर गडढी कर सीमा पर तारबंदी एवं छीणे लगवाने हेतु प्रेम पूर्वक निवेदन पर सहमत नहीं हुए तो प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान कर पत्थर गडढी व सीमा पर तारबंदी के लिए दिनांक 04.01.2021 को भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी 1424, 1425 ,1426 व 1427 की पैमाईश करवा कर सीमाज्ञान करवा कर प्रार्थीगण की आराजी की उत्तरी माठ व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की दक्षिणी माठ तथा प्रार्थीगण की आराजी की दक्षिणी माठ व अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की आराजी की उत्तरी माठ पर सीमाज्ञान का विवाद के निस्तारण हेतु प्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 78 दिनांक 5.1.2021 को उक्त भूमि की पैमाईश हेतु हल्का पटवारी बडगांव पर आदेश जारी किया। श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा की पालना में हल्का पटवारी बडगांव ग्राम प्रतिहारी व प्रार्थीगण एवं मौतबीरान के रूबरू भूमि की पैमाईश हेतु दिनांक 13.01.2021 को मौके पर जाकर उक्त प्रार्थीगण की आराजी 1424, 1425, 1426, व 1427 व पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करना चाहा गया परन्तु पडौसी खातेदारों अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने पैमाईश के चिन्ह स्वीकार नहीं किये जिस कारण मौके पर सीमाकंन अनुसार माठ कायम नहीं की जा सकी। इस प्रकार प्रार्थीण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी आराजी पर सीमाज्ञान को लेकर भयंकर विवाद है।

3. प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा बडगांव के खसरा नबंर 1424, 1425, 1426 व 1427 कुल रकबा 0.86 हैक्टर की उत्तरी माठ व दक्षिणी माठ क्रमशः अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 से 9 के खातेदारी की माठ का स्थाई सीमाज्ञान कर तहसीलदार रानीवाडा से पटवारी एवं आर. आई. तथा नायब तहसीलदार रानीवाडा के नेतृत्व में कमेठी गठित कर स्थाई पत्थर गडढी किया जाना न्याय संगत व अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसके अभाव में प्रार्थीगण के खेत की माठ कायम किया जाना सम्भव नहीं है। माठ कायम नहीं किये जाने की अवस्था में खेत के चारों ओर बाड़ व तारबंदी नहीं हो सकती जिससे खेत की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा नुकसान पहुंच रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 बहुत ही झगडालु व बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है जो प्रार्थीगण को कभी भी माठ नहीं करने देगे तथा आगे से आगे अवैध माठ तोड़ कर प्रार्थीगण के खेत पर अतिचार करते रहेगे। प्राथीगण के खेत पर पैमाईश से स्थाई पत्थर गड्ढी व सीमाज्ञान से ही मुख्य विवाद समाप्त होगा अन्यथा मौके पर विवाद जारी रहेगा। जिससे प्रार्थीगण के अपूर्णिय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपश पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा बडगांव में स्थित प्रा[illegible] की खातेदारी आराजी 1424, 1425, 1426 व 1427 जुमले रकबा [illegible] दिशा स्थित अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर [illegible] 1347, 1348 रकबा 1.54 हैक्टर व प्रार्थीगण की खातेदारी के दक्षिण में स्थित अप्रा[illegible] 2 से 9 की खातेदारी आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:42 IST
Reason: SelfAttested

नबंर 1421 ,1422 ,1423 जुमले रकबा 1.76 हैक्टर आराजी की पैमाईश किया जाकर उक्त आराजीयान की माठ पर स्थाई पत्थर गड्ढी कायम करने हेतु भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को आदेश जारी कर सीमाज्ञान हेतु नियमानुसार कमेठी गठित कर सीमाज्ञान व स्थाई पत्थर गड्ढी हेतु मौके पर पत्थर की छीणों से व तारबंदी से प्रार्थीगण की आराजी के उत्तरी लोर व दक्षिणी लोर पर स्थाई पत्थरगढ़ी मय प्रत्येक पत्थर पर अंक अंकित कर फर्द तैयार कर प्रार्थीगण के साथ न्याय कर सीमा विवाद समाप्त करवानें के आदेश न्याय हित में फरमावें।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 10 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.01.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में बताया कि सीमाज्ञान करने पर पडौसी खातेदारों ने पैमाईश के चिन्ह स्वीकार नही किये जिस कारण मौके पर सीमांकन अनुसार माठ कायम नहीं की जा व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके सीमाकंन अनुसार माठ कायम नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 1424, 1425, 1426, 1427, 1346, 1347, 1348, 1421, 1422 व 1423 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद बडगांव पटवारी मण्डल बडगांव के खसरा नम्बर 1424, 1425, 1426, 1427 जूमले रकबा 0.86 हेक्टेयर, 1346, 1347, 1348 जूमले रकबा 1.54 हेक्टेयर व 1421, 1422 1423 जूमले रकबा 1.76 हेक्टेयर की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वा[illegible]जलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर